

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 14/2020,

आर.सी.एम.एस. : 2020/00247

| अपीलान्त | बनाम | रेस्पोजेन्ट :- |
|--|------|--|
| 1. मूल कंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि मुकनसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली | | 1. थानसिंह पुत्र भीमसिंह 2. हरिसिंह पुत्र भीमसिंह 3. दलपतसिंह पुत्र भीमसिंह 4. किशोरसिंह उर्फ शैतानसिंह पुत्र भीमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण ग्राम वरकाणा तहसील रानी जिला पाली (राज.) |
| 2. शोभाकंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि अनोपसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम जाणा तहसील सुमेरपुर जिला पाली | | 5. सुरजकंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि बख्तावरसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली 6. लाडुकंवर पुत्री भीमसिंह (पत्नि कंवरसिंह) जाति राजपूत निवासी ग्राम चवरली तहसील पिण्डवाडा जिला सिसरोही 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी तहसील रानी जिला पाली 8. नायब तहसीलदार देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली |

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

अपीलाण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नौरतन चौहान

रेस्पोजेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक:- 16.12.21

अपीलाण्टगण की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम वरकाणा के नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 16.12.1988 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोजेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 बाद तामील नोटिस के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध



(Signature)

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेसपोडेण्ट संख्या 2 से 6 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम वरकाणा पटवार हल्का वरकाणा भू, अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजोवा तहसील रानी की सरहद में खसरा नम्बर 313 रकबा 1.0400 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 314 रकबा 1.0500 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.8800 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.9100 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.5700 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल एवं खसरा नम्बर 321 रकबा 1.1400 हैक्टेयर किस्म बारानी अब्बल कुल 6 खसरे कुल रकबा 5.5900 हैक्टर की कृषि भूमि अपीलाण्टगण एवं रेसपोडेण्ट संख्या 1 लगायत 6 के पिता भीमसिंह पुत्र मेघसिंह राजपूत की सहखातेदारी भूमि स्थित थी। अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु के वक्त अपीलाण्टगण के अलावा उनकी माता छगनकंवर, उनके भाई थानसिंह, हरिसिंह, दलपतसिंह एवं शैतानसिंह(उर्फ किशोरसिंह) एवं उनकी बहनें सुरजकंवर एवं लाडुकंवर जीवित थे। अपीलाण्टगण के पिता की मृत्यु पश्चात उनका फौतेदगी नामान्तरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उनके विधिक वारिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन हल्का पटवारी ने भीमसिंह के विधिक वारिशान की जांच किए बिना, उन्हें नोटिस दिए बिना, सुनवाई का अवसर दिए बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया, जिसमें अपीलाण्टगण को छोड़कर अपीलाण्टगण की माता एवं उनके चार भाई तथा दो बहनों के नाम दर्ज किया गया है। जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्त है। दिनांक 23.07.2020 को अपीलाण्टगण ग्राम वरकाणा में स्थित पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि पर देख-रेख करने गयी, तो वहां पर रेसपोडेण्ट संख्या 1 थानसिंह कुछ अजनबी व्यक्तियों के साथ आया तथा जमीन को बेचाण करने बाबत कथन करने लगा, तो अपीलाण्टगण ने पहले नाप-चौक करने का कहा तो थानसिंह ने कहा की तुम्हारा उक्त भूमि कोई अधिकार ही नहीं है। तब अपीलाण्टगण ने दिनांक 24.07.2020 को नामान्तरकरण संख्या 15 की प्रति पटवारी हल्का से प्राप्त की ओर अपना नाम नामान्तरकरण में नहीं होना पाया तो, बिना किसी प्रकार देरी किए अपील न्यायालय में पेश की, विधि विरुद्ध एवं Ab initio void नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है, अतः अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार करावाया जावें, जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त करावें। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त यथा 2011(1) RRT page 432, 2013(2) RRT page 1284, 2013(2) RRT page 766, 2012(1) RRT page 350(sc), 2002 RBJ page 108, 1989 RRD page 45, 1994 RRD page 216 and 1994 RRD page 606 पेश किए।

विद्वान अधिवक्ता रेसपोडेण्ट संख्या 2 से 6 ने वक्त बहस कथन किया कि उनके और अपीलाण्टगण के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 14 को निरस्त किया जाकर, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुनः विधिनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।



प्रथम वर्ग के दायद होते हैं तथा किसी हिन्दु पुरुष का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त उसके समस्त वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 15 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत ग्राम वरकाणा के नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 16.12.1988 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक भीमसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी वरकाणा के विधिक वारिशान की जांच कर, सभी पक्षकारान को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 16.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली